न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

1.अपील संख्या 61/2025
जीसीएमएस संख्या (2025/118) निर्णय दिनांकः– 28-05-2025

1. पुन्नू खां पुत्र श्री सुभान खां जाति मुसलमान निवासी राववाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. कैलाशचन्द्र पुत्र श्री धनराज जाति ब्राहमण निवासी बरसलपुर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बज्जू।
3. संतोष कंवर पत्नी श्री दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 5 बीको का बास सुरजडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

2.अपील संख्या 115/2023
जीसीएमएस संख्या (2023/208) निर्णय दिनांकः–

1. पुन्नू खां पुत्र श्री सुभान खां जाति मुसलमान निवासी राववाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बज्जू।

रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3.अपील संख्या 60 / 2025
जीसीएमएस संख्या (2025 / 117) निर्णय दिनांकः–

1. दुर्गादेवी पत्नी भीखाराम जाति सोनी निवासी बरसलपुर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. कैलाशचन्द्र पुत्र श्री धनराज जाति ब्राहमण निवासी चक 5 बीएमआर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बज्जू।
3. संतोष कंवर पत्नी श्री दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 5 बीको का बास सुरजडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

4.अपील संख्या 113 / 2023
जीसीएमएस संख्या (2023 / 206) निर्णय दिनांकः–

1. दुर्गादेवी पत्नी भीखाराम जाति सोनी निवासी ग्राम बरसलपुर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बज्जू।

रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5.अपील संख्या 59/2025
जीसीएमएस संख्या (2025/110) निर्णय दिनांकः–

1. लालचन्द पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी राववाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. कैलाशचन्द्र पुत्र धनराज जाति ब्राहमण निवासी चक 5 बीएमआर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बज्जू।
3. संतोष कंवर पत्नी श्री दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 5 बीको का बास सुरजडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरूद्व आदेश दिनांक 16–03–2023
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपस्थितिः–
1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्(अपील 115/23, 61/2025)
2. श्री प्रहलाद जाखड, अभिभाषक अपीलांट (अपील सं 60/25, 113/23)
3. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट (अपील सं 59/25)
4. श्री जयचंदलाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3
5. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपीलें उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 16–03–2023 के विरूद्व जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गैरकानूनी तरीके से एकतरफा तौर पर आवंटन प्रकिया व वरियता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नियमों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विशेष आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. प्रस्तुत समस्त पांच अपीलें एक ही अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन पांच अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक–एक प्रति उपरोक्त सभी पांचों पत्रावलियों पर सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् (अपील संख्या 61/2025 एवं 115/2023) ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट पुन्नु खां द्वारा विशेष आवंटन हेतु आवंटन प्रार्थना पत्र आवेदन क्रमांक 1965/2007 चक 6 बी.एम.आर. के मुरब्बा नम्बर 108/57 हेतु आवेदन अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वादगत् भूमि पर अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है क्योंकि अपीलांट उसी गांव व चक का निवासी है। अदालत मातहत द्वारा तत्समय आवंटन नियमों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या कैलाशचन्द्र तहसील बज्जू का निवासी नहीं होकर बीकानेर का वांशिदा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं द्वारा अपने निवास के संबंध में भिन्न–भिन्न स्थानों की निर्वाचन सूचियां प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर तत्समय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलांट की अपील संख्या 37/2010 दिनांक 03–02–2014 को स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट कैलाशचन्द्र को दिनांक 19–02–2010 को वादगत् भूमि का किया गया आवंटन निरस्त कर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण पुनः अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश के विपरीत जाकर व रिमाण्ड आदेश की अवहेलना करते हुए आदेश दिनांक 02—01—2018 द्वारा रेस्पोडेन्ट व अपीलांट् की वरियता का निर्धारण किये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि का पुनः आवंटन कर दिया। जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 28—03—2018 द्वारा प्रकरण को पुनः दोनों पक्षों की सुनवाई साक्ष्य व सबूत का पर्याप्त अवसर देते हुए पक्षकारान की भूमि का तुलनात्मक विवरण/वरीयता निर्धारण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28—03—2018 की माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 2453/2018 प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 24—09—2019 को विड्रो कर लिया गया। इस सूरत में राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय दिनांक 28—03—2018 बहाल रहा। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16—03—2023 द्वारा अपीलाधीन अराजी को पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय हाजा द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना नहीं की गई। ना तो पक्षकारान की वरीयता निर्धारण किया गया ना ही भूमि संबंधी जांच की गई। अगर पक्षकारों के मध्य समान वरीयता पाई जाती तो भूमि का आवंटन जरिये निलामी किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना केवल पक्षकारों के हितों का कठुराधात किया गया है बल्कि राजकीय हानि भी कारित की गई है। लिहाजा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2005 ।। पेज 1112, आरआरडी 2003 पेज 206, आरआरडी 1977 पेज 378 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट (अपील संख्या 59/2025) ने अभिभाषक अपीलांट पुन्नु खां के कथनों को दोहराते हुए कथन किये कि अपीलांट लालचंद महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज का विस्थापित है और एमएफएफआर का विस्थापित जहां निवास करता है उसे वहीं का निवासी माना जाता है। इस सूरत में अपीलांट लालचंद अपीलाधीन अराजी का स्थानीय निवासी माना जाकर प्रथम वरीयता का पात्र है।

अभिभाषक अपीलांट (अपील संख्या 113/2023 एवं अपील संख्या 60/2025) दुर्गा देवी ने पूर्व अधिवक्ताओं की बहस को दोहराया एवं कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा दौराने अपील भूमि क्रय की है इसलिये यह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं होने से किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अभिभाषक अपीलांट दुर्गादेवी ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2014 पेज 541 के न्याय दृष्टांत पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट दुर्गादेवी व अभिभाषक अपीलांट पुन्नु खां ने मियांद पर अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 व 14 मियांद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में प्रकरण से संबंधित निगरानी पेश की गई। निगरानी विचाराधीन थी एवं आवंटन पत्रावली तलब की जा चुकी थी फिर भी मातहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। उक्त निगरानियां खारिज होने के आदेश से नकल प्राप्त कर बिना कोई देरी के अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः अपीलांट द्वारा अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दरगुजर किया जाकर अपीलें अंदर मियांद शुमार की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट दुर्गा देवी व पुन्नु खां द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्पष्टतया मियांद बाहर है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते हुए भी निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांट को एक–एक दिन के विलम्ब का पर्याप्त कारण बताना होगा। जबकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया है जिससे कि विलम्ब को क्षम्य किया जा सके। अतः अपील अपीलांट मियांद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

आगे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किये कि चक 6 बीएमआर में मुरब्बा नम्बर 108/57 तादादी 17 बीघा भूमि विशेष आवंटन गजट में प्रकाशित थी। उपरोक्त भूमि आवंटन के तहत आवेदन आमंत्रित किये जाने पर अपीलाण्टान व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवेदन पेश किये गये। जिस पर आवंटन अधिकारी द्वारा आवेदनों की जांच कर दिनांक 19–02–2010 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाशचन्द्र की प्रथम वरीयता मानकर अन्य आवेदकों दुर्गा देवी, लालचन्द एवं पुन्नु खां का आवेदन निरस्त कर दिया। उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील संख्या 69/2010 अनवानी दुर्गा देवी बनाम सरकार, अपील संख्या 70/2010 अनवानी दुर्गादेवी बनाम कैलाशचन्द्र, अपील संख्या 36/2010 अनवानी पुन्नु खां बनाम सरकार, अपील संख्या 37/2010 पुन्नु खां बनाम कैलाशचन्द्र प्रस्तुत हुई जो निर्णय दिनांक 03–02–2014 को स्वीकार की जाकर इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि आवेदकों को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उपनिवेशन विभाग से पत्रावली उपखण्ड अधिकारी कोलायत हस्तांतरित होने पर उपखण्ड अधिकारी कोलायत द्वारा निर्णय दिनांक 02–01–2018 से समस्त आवेदकों को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर दुर्गा देवी एवं पुन्नु खां का आवेदन निरस्त कर आंवटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ मुकाम बीकानेर का निर्णय दिनांक 19–02–2010 यथावत रखा गया तथा 20 प्रतिशत राशि जरिये चालान संख्या 103 दिनांक 23–04–2010 को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खजानाराज में जमा करवाकर आवंटन आदेश जारी कर दिया गया एवं सनद संख्या 24/49 दिनांक 06—02—2018 को खातेदारी सनद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जारी कर दी गई। तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अलग—अलग निगरानी संख्या 2412/2018, 2453/2018, 2449/2018 दायर की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 24—09—2019 द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि रिमाण्ड आदेश की पालना में तीन माह के भीतर नये सिरे से विधिअनुसार निर्णय पारित करे। इस निर्णय में अंकित कोई बात विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय करने में प्रभावित नहीं करेगी। पत्रावली पर पक्षकारान दिनांक 13—05—2019 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। राजस्व मण्डल के इस निर्णय की पालना में उपखण्ड अधिकारी बज्जू द्वारा समस्त पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। दुर्गा देवी एवं पुन्नु खां द्वारा गलत शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जाना पाया गया एवं लालचंद को ग्राम राववाला का कदीमी निवासी नहीं होना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समस्त तथ्यों पर विवेचन करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन बहाल रखा गया है। अपीलांटान् द्वारा अपनी बहस में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन खारिज करने की बात की है परन्तु प्रकरण में स्वयं की वरीयता कैसे बनती है, इस संबंध में कोई कथन नही किये है। आवंटन नियमों के तहत तथ्य छुपाने पर एवं गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर किया गया आवंटन भी निरस्त किया जा सकता है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिअनुरूप है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। माननीय न्यायालयों के न्याय दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. हस्तगत् प्रकरण में सर्वप्रथम मियांद के बिन्दु को तय किया जाना है। अपीलांट दुर्गा देवी एवं पुन्नु खां द्वारा अपनी अपीलों के साथ मियांद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए विलम्ब को दरगुजर करने का कथन किया है जबकि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपीलें स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत किये जाने से अपीलें मियांद के बिन्दु पर खारिज किये जाने का कथन किया है । इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट द्वारा मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी जिस पर मण्डल ने निगरानी खारिज करते हुए प्रकरण अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने का निर्देश प्रदान किया था। माननीय मण्डल के निर्णय की दिनांक से अपीलांट द्वारा निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत किये जाने से एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्त की अवधारणा कि तकनीकी बिन्दु की अपेक्षा गुणावगुण पर निर्णय किया जाना श्रेयस्कर है, के मध्यनजर अपीलांट दुर्गा देवी एवं पुन्नु खां द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपीलें अंदर मियांद शुमार की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में वादगत भूमि तहसील बज्जू के चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/57 तादादी 17 बीघा भूमि विशेष गजट में आरक्षित होने से भूमि आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें से आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 19—02—2010 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाशचन्द्र को बतौर विशेष आवंटन में आवंटित की गई थी। अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 19—02—2010 के विरूद्व तत्कालीन न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 03—02—2014 को अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 19—02—2010 को निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रेषित किया गया। जिसके कम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02—01—2018 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाशचन्द्र का आवंटन बहाल रखा। जिसके विरूद्व पुनः अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये जाने

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर न्याायलय हाजा द्वारा अपने आदेश दिनांक 28—03—2018 द्वारा प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया। इस आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में विभिन्न निगरानियां प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 24—09—2019 द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि रिमाण्ड आदेश की पालना में तीन माह के भीतर नये सिरे से विधिअनुसार निर्णय पारित करे। इस निर्णय में अंकित कोई बात विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय करने में प्रभावित नहीं करेगी। पत्रावली पर पक्षकारान दिनांक 13—05—2019 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का यह निर्णय अंतिम निर्णय था जिसके विरूद्ध कोई अपील नहीं हुई।

प्रकरण की पत्रावली उपखण्ड कार्यालय कोलायत से स्थानांतरित होकर उपखण्ड कार्यालय बज्जू में प्राप्त होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली पेशी में ली जाकर शेष पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23—05—2022 को अपीलांट दुर्गा देवी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अधिवक्ता जालम सिंह द्वारा वकालतनामा और सबूत प्रस्तुत किये। दिनांक 02—08—2022 को अपीलांट दुर्गा देवी एवं अपीलांट लालचन्द एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाशचन्द्र द्वारा साक्ष्य व सबूत पेश किये गये। दिनांक 30—08—2022 को अपीलांट पुन्नु खां द्वारा साक्ष्य सबूत एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपीलांट दुर्गा देवी के नाम चक 7 बीडीवाई में मुरब्बा नम्बर 229/25 में 15 बीघा कमाण्ड व दुर्गा देवी के पति भीखाराम के नाम चक 4 आरएमए में 13 बीघा कमाण्ड 2 बीघा अनकमाण्ड भूमि होना पाया है। साथ ही दुर्गा देवी द्वारा अपने आवेदन में इस भूमि को छिपाकर झूठा शपथ पत्र पेश करना उल्लेखित किया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इसी प्रकार अपीलांट पुन्नु खां द्वारा अपने आवेदन में अपने धारण में कोई भूमि नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जबकि पुन्नु खां के पिता शुभान खां के नाम चक 6 आरएम में 134 बीघा 4 बिस्वा कमाण्ड व 55 बीघा 7 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि है। इसके अलावा चक 20 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 107/06 में 15 बीघा 16 बिस्वा कमाण्ड व 7 बीघा 14 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि अपीलांट पुन्नु खां के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। स्पष्ट है कि पुन्नु खां ने भी आवेदन पत्र में धारित भूमि को छिपाकर झूठा शपथ पत्र पेश किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेखित किया है कि यद्यपि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा तीन पक्षकारान को सबूत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये है जिसमें लालचन्द पक्षकार नहीं है। फिर भी राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय की पालना में लालचन्द को सुना गया। लालचन्द को ग्राम राववाला का कदीमी निवासी नहीं माना गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाशचन्द्र को बरसलपुर का मूल निवासी साबित माना है तथा कैलाशचन्द्र के नाम चक 6 बीएमआर में मुरब्बा नम्बर 148/29 में 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि होना स्वीकार किया है। जिसमें कैलाशचन्द्र के साथ सात हिस्सेदार थे और यह भूमि कैलाशचन्द्र द्वारा बेचान कर दी गई है। कैलाशचन्द्र द्वारा आवंटित भूमि की समस्त राशि खजानाराज में जमा करवा दी है तथा खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके है। आवंटन की कार्यवाही सम्पूर्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से कैलाशचन्द्र की प्रथम वरीयता जोकि प्रथम आवंटन आदेश दिनांक 19–02–2010 को मानी गई थी उसे स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाशचन्द्र का आवंटन बहाल कर अन्य आवेदन निरस्त किये गये है।

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि वर्ष 2010 में विशेष आवंटन होने के उपरान्त वर्तमान तक प्रकरण विभिन्न राजस्व न्यायालयों में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विचाराधीन रहा है। सर्वप्रथम आवंटन आदेश दिनांक 19—02—2010 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलाधीन अराजी आवंटित की गई थी। जो आदेश दिनांक 02—01—2018 द्वारा एवं वर्तमान अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—03—2023 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन बहाल रखा गया। इस प्रकार आवंटन अधिकारी द्वारा तीन बार प्रकरण में पक्षकारान के साक्ष्य सबूतों की समीक्षा कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन बहाल रखा। प्रकरण में अन्य आवेदकों/अपीलांट्स के मूल आवेदन पत्रों का अवलोकन किया गया। यह सही है कि अपीलांट्स दुर्गा देवी व पुन्नु खां द्वारा अपने आवेदन पत्रों में धारित भूमि के संबंध में मिथ्या जानकारी आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 21 के अनुसारः—

Cancellation of Allotment:- "If at any time it is discovered that any allotment of Government land was made under these rules upon an incorrect statement of facts made in the application or in the affidavit or any other document produced by an allotee, the Alloting Authority, may order cancellation of such allotment and may also order re-entry upon and taking possession of the land without payment of any compensation."

उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन नियमों के तहत अगर आंवटी द्वारा मिथ्या जानकारी या शपथ पत्र या दस्तावेज आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो आवंटन अधिकारी **किसी भी समय** आवंटन आदेश निरस्त कर सकता है।

अर्थात् मिथ्या जानकारी या शपथ पत्र के आधार पर तो किया गया आवंटन भी निरस्त किया जा सकता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तो केवल आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किये है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट द्वारा अपनी बहस में इस संबंध में कोई कथन नहीं किये गये कि उनके द्वारा आवंटन अधिकारी को गलत सूचना नहीं दी गई। आवेदन पत्रों के अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध भूमि तस्दीक प्रमाण पत्रों से उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि होती है।

जहां तक अपीलांट द्वारा यह आक्षेप किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं को बरसलपुर का निवासी बताया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बीकानेर का मूल निवासी है, इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा आक्षेप प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत निर्वाचन सूची वर्ष 1993, 2003 व 2008 की है जबकि प्रथम बार आवंटन वर्ष 2010 में हुआ था। साथ ही निर्वाचन सूची में अंकित स्थान का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति छह माह उस स्थान विशेष में रहा हो। निवास के संबंध में निर्वाचन सूची मूल निवास प्रमाण पत्र से अधिक विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाशचन्द्र की पत्रावली में संलग्न मूल निवास प्रमाण पत्र क्रमांक 731 वर्ष 1998 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बरसलपुर का निवासी प्रमाणित किया है। चूंकि यह प्रमाण पत्र विवाद प्रारम्भ होने से पूर्व का है अतः यह निश्चयात्मक साक्ष्य की श्रेणी में आता है।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24—09—2019 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को स्पष्ट निर्देश दिये थे कि रिमाण्ड आदेश की पालना में तीन माह में निर्णय पारित करे। साथ ही न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश दिनांक 28—03—2018 में पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत का अवसर देते हुए पक्षकारान के धारण की भूमि का तुलनात्मक विवरण निर्धारित करते हुए पुनः निर्णय पारित हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत का अवसर दिया गया। पक्षकारान के धारण की भूमि का विवरण अपीलाधीन आदेश में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है। इस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल व न्यायालय हाजा के निर्देशों की पालना

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

में अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से हस्तगत अपीलें खारिज योग्य पाई जाती है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की पांचों अपीलें खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, बज्जू दिनांक 16–03–2023 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28-05-2025को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर